न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 207 / 2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) रियांबडी		1. लादू पुत्र हणुत कौम रेगर निवासी रियांबडी के कायम मुकामान– 1/1 रामपाल पुत्र लादुराम रेगर गली नम्बर–1 ठक्कर बाबा कॉलोनी, जी.एस.टी. रोड चैम्बूर नाका–72, मुम्बई (महाराष्ट्र) 1/2 बिरजी देवी पत्नी नारायणराम कौम रेगर ग्राम पोस्ट कुडछी वाया–रास तहसील जैतारण जिला पाली। 1/3 गोरकी पत्नी शंकरलाल कौम रेगर निवासी जसनगर तहसील रियांबडी जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थी सख्या–1/1 की ओर से वकील श्री बाबुलाल खोजा।
3. अप्रार्थी संख्या– 1/2 व 1/3 की ओर से वकील श्री बाबुलाल भादू।

निर्णय

दिनांक : 02/07/2018

प्रार्थी तहसीलदार रियांबडी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी लादूराम के फौत हो जाने पर उसके कायममुकामान को रेकर्ड पर लिया गया एवं उनकी तलबी जारी की गई।

वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि मौजा रियांबडी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 8 बीघा/हैक्टयर भूमि अप्रार्थी लादु पुत्र हणुत जाति रेगर निवासी रियांबडी की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1970 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो खसरा गिरदावरी संवत् 2035–2071 तक के नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पडत के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है, जिसके कारण अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 14 (3) के तहत् निरस्त योग्य है। अप्रार्थी को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त फरमानें का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री बाबूलाल भादू ने अप्रार्थी बिरजी व गोरकी और से प्रस्तुत किये गये जवाब में अंकित तथ्यों को हूबहू दौहराते हुऐ स्वंय की बहस में कथन किया की आवेदन पत्र की मद संख्या 1 सही है। आवेदन पत्र की मद संख्या 2 गलत व बनावटी होने से अस्वीकार है क्योंकि वादग्रस्त पुराना खसरा नम्बर 1353 मिन पर आवंटन से पूर्व से ही स्वर्गीय लादू का कब्जा काश्त रहता चला आया था तथा आवंटन के बाद भी लगातार कब्जा काश्त रहता चला आया है और लादूराम के देहान्त के बाद कब्जा काश्त लगातार उत्तरदाता यानि लादूराम के वारिसान का रहता चला आया है तथा अप्रार्थीगण ने धारा 14 (3) की शर्तो का पालन किया गया है शुरू से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा गिरदावरी वगैरा मौके पर आये बिना ही तैयार की गई है तथा

गिरदावरियों में गलत अंकन किया गया है तथा गलत अंकन के आधार पर तहसीलदार ने गलत व झूठा आवेदन पत्र करीब 45–46 साल बाद पेश किया है जो खारिज किये जाने के काबिल है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज गलत होने से अस्वीकार है, क्योंकि मौके पर शुरू से ही लादूराम का कब्जा काश्त रहता चला आया था और लादूराम के देहान्त के बाद लादूराम के वारिसान का रहता चला आया है। जो पडत भूमि नहीं है बल्कि लादूराम के वारिसान हर वर्ष काश्त करसण करते है। पटवारी हल्का ने झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार की गई है जो रिपोर्ट मौके पर आये बिना ही उत्तरदाता के बाले बाले ही एक पक्षीय तैयार की गई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट की अप्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है जो रिपोर्ट उत्तरदाता के पीठ पीछे तैयार किया गया दस्तावेज है ऐसे दस्तावेज की कानून की निगाह में कोई महत्व नहीं होता है और पटवारी हल्का ने मौके पर जाकर रिपोर्ट नहीं बनायी है मात्र मौतबिरों के कहने से तैयार की गई है और मौतबिर के कहे अनुसार रिपोर्ट तैयार की है जो रिपोर्ट से ही स्पष्ट है। ऐसी रिपोर्ट को आधार मानकर खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से समाप्त नहीं किये जा सकते तथा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में कुल 18 खेतों का मौका देखना लिखा गया है और मात्र यह अंकन किया गया है कि लादु पुत्र हणुता कब्जा नहीं है लेकिन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया कि लादूराम का कौनसे खसरे की भूमि पर कब्जा नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि पटवारी हल्का ने मौके पर बिना आये ही कब्जा की जांच किये बिना ही मौतबिरों के कहने से झूठी व मिथ्या रिपोर्ट तैयार की गई है जो रिपोर्ट मात्र ग्रामीण व्यक्तियों के कहे अनुसार तैयार की गई है और मौका रिपोर्ट में भी यह अंकन किया गया है कि मौतबिरों ने बताया है कि लादूराम का कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि पटवारी हल्का ने मौके पर कब्जा के संबंध में कोई किसी तरह की जांच नही की बिना जांच किये ही ग्रामीण व्यक्तियों के कहे अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है ऐसी रिपोर्ट को आधार मानकर कानूनी रूप से खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता जिससे आवेदन खारिज किये जाने योग्य है।

आवेदन पत्र की मद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थीगण ने धारा 14 (3) की शर्तों की पालना शुरू से ही कर रहे है किसी भी नियम व शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है मौके पर आज दिन भी कब्जा काश्त अप्रार्थीगण का रहता चला आया है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के खिलाफ करीब 45–46 वर्ष बाद यह आवेदन पेश किया है जो देरी से पेश करने का प्रार्थीगण के पास कोई कारण नहीं है और न ही देरी होने के कारण का उल्लेख किया गया है तथा देरी माफ करने के लिए आवेदन पत्र तक पेश नहीं किया गया है जबकि देरी होने के कारण का एक–एक दिन का हिसाब देना पडता है और देरी होने का कारण सन्तोषजनक व वाजिब हो तो ही माफ किया जाता है बल्कि इस प्रकरण में देरी माफ करने का आवेदन पत्र भी पेश नहीं किया और न ही देरी होने का कारण बताया गया है ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र कानूनी रूप से मयाद के बिन्दू पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थी ने 45–46 साल बाद आवेदन पत्र पेश किया है जो कानूनी रूप से पूर्ण रूप से मियाद बाहर है जबकि कानूनी रूप से 10 साल बाद किसी भी व्यक्ति की खातेदारी हक व अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता और और न ही खातेदारी अधिकारों से वंचित किया जा सकता है और न ही बेदखल किया जा सकता है जबकि प्रार्थी ने तो 45–46 साल बाद आवेदन पत्र पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन खारिज होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर आवंटन से पहले ही कब्जा लादूराम का था और लादूराम के जीवनकाल तक रहता चला आया है उसके देहान्त के बाद लगातार उत्तरदाता का रहता चला आया है मात्र एक पक्षीय रूप से तैयार की गई मौका रिपोर्ट को आधार मानकर खातेदारी अधिकार समाप्त नहीं किया जा सकता है। अगर एक या दो साल के लिए किसी कारण वश से किसी व्यक्ति ने काश्त नहीं की है तो उसको आधार मानकर खातेदारी खारिज नहीं की जा सकती है जबकि वादग्रस्त भूमि पर शुरू से लेकर आज दिन तक कब्जा काश्त रहता चला आया है और मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का ने मात्र मौतबिर के बताये अनुसार उत्तरदाता की गैर मौजूदगी में तैयार की गई ऐसी रिपोर्ट को आधार मानकर खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त खसरा में से अन्य का भी लोगों को भूमि आंवटन हो रखी है जिसके खिलाफ किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

कलक्टर, नागौर

कानूनी रूप से आवंटन के बाद आंवटन के प्रथम तीन वर्ष में कब्जा होना आवश्यक होता है अगर आवंटन के तीन साल बाद कब्जा होता है तो उस आवंटन व खातेदारी को कानूनी रूप से खारिज नहीं किया जा सकता तथा आंवटन के बाद प्रथम तीन वर्ष के आवंटी का कब्जा नहीं होने का

पत्रावली पर कोई किसी तरह की दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी ने कब्जा के संबंध में जो दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने का प्रयास किया है जो साक्ष्य मात्र सन 1978 के बाद की है आंवटन 1970 में हुआ है तथा 1970 व 1978 के बीच में कब्जा नहीं होने के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से आंवटन खातेदारी निरस्त नहीं की जा सकती तथा मात्र तकनीकी कमी के आधार पर खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। वादग्रस्त भूमि पर शुरू से ही लादूराम का कब्जा काश्त था उसके बाद वारिसान का कब्जा काश्त रहता चला आया है तथा प्रार्थी ने 45–46 साल बाद यह आवेदन पत्र पेश किया है जो स्पष्ट रूप से मयाद बाहर है, मयाद बाहर होने का कोई कारण नहीं है और देरी माफ करने का कोई आवेदन पत्र भी नहीं है तथा कानूनी रूप से 45–46 साल बाद खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर उतरदाता को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी का आवेदन सारहीन आधारहीन होने से व विधि विरूद्ध होने से तथा मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी श्री बाबूलाल भादू द्वारा अपनी बहस में वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी लादूराम तथा उसके देहान्त के पश्चात अप्रार्थी लादूराम के वारिसान का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। वकील अप्रार्थी श्री बाबूलाल खोजा ने अपनी बहस में उक्त वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी लादूराम का लगातार कब्जा काश्त होना तथा लादूराम के देहान्त के पश्चात हर वर्ष कब्जा काश्त लगातार अप्रार्थी रामपाल का होना तथा कब्जा की जॉच कर लादूराम के स्थान पर फौतगी नामान्तकरण संख्या 1307 दिनांक 05.10.2016 को रामपाल के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का कथन किया है। वकील श्री बाबूलाल खोजा ने अपनी बहस अन्य सभी कथन वकील श्री बाबूलाल भादू द्वारा किये गये कथनों के समान ही कथन करते हुऐ प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन व आधारहीन व विधि विरूद्ध होने से तथा मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। वकील श्री बाबूलाल खोजा ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(2)पेज 972, आर.आर.टी. 2016(1)पेज 718, आर.आर.टी. 2016(2)पेज 769, आर.आर.टी. 2014(2)पेज 759, आर.आर.टी. 2016(1)पेज 718, आर.आर.टी 2011(1)पेज 270, आर.आर.टी. 2011(1)पेज 383, आर.आर.टी. 2011(1)पेज 715, आर.आर.टी. 2011(2)पेज 1205, आर.आर.टी. 2009(1)पेज 238, आर.आर.टी. 2009(1)पेज 453, आर.आर.टी. 2007(1)पेज 18, आर.आर.टी. 2007(2)पेज 1430 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अद्योपान्त सम्मान अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बने नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार मौजा रियांबडी के साबिका खसरा नम्बर 1353 मिन रकबा 8 बीघा/हैक्टयर भूमि अप्रार्थी लादु पुत्र हणुत जाति रेगर निवासी रियांबडी की राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी। जिसका नामान्तरकरण भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। अप्रार्थी को उक्त भूमि वर्ष 1970 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि काबिल काश्त नहीं है तथा मौके पर भूमि पडत के रूप में है, जिस पर काश्त करना मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सुस्पष्ट है।

हस्तगत प्रकरण में फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 4.9.15 के अनुसार ग्राम रियांबडी के कुल 19 खसरान जिनका 27.73 हैक्टयर के मौके पर उक्त खसरा नम्बरों में अप्रार्थी लादूराम के नाम रकबा 1.29 हैक्टर संयुक्त खाते मे गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा उपस्थित मौतबिरानों द्वारा बताया गया कि लादूराम का मौके पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, तथा वर्तमान में भी कब्जा काश्त नहीं है, उक्त रिपोर्ट पर पटवारी रियांबडी, आई.एल.आर. रियांबडी, सरपंच ग्राम पंचायत रियांबडी व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आंवटित भूमि पर अप्रार्थीगण का न तो कब्जा पूर्व में था, न ही है एवं न ही इनके द्वारा इस भूमि पर काश्त की गई है। खसरा गिरदावरी ग्राम रियांबडी खसरा नम्बर 1353 संवत् 2031 की प्रमाणित प्रति के कॉलम संख्या 10 में गोठ की काश्त अवश्य दर्ज है, परन्तु आधिपत्य आदि के संबंध में उक्त गिरदावरी के कॉलम संख्या 16 में सुगना पुत्र गुलाब बावरी का नाम अंकित है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 1353 ग्राम रियांबड़ी की खसरा गिरदावरी संवत 2035 से 2038 की प्रमाणित प्रति में कृषि शून्य क्षेत्रफल का विवरण का कॉलम

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

में प.ज. 8 बीघा दर्ज है। इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 1353मी क्षैत्रफल 8 बीघा ग्राम रियांबड़ी की खसरा गिरदावरी संवत 2039 से 2042 एवं संवत् 2043 से 2046 एवं संवत 2047 से 2050, संवत 2052 से 2054 एवं संवत् 2055 से 2058, एवं संवत् 2059 से 2062 की प्रमाणित प्रति के न जोते गये क्षैत्रफल का ब्योरा, का कॉलम में पु.प./प.ज./प.क. 8 बीघा दर्ज है। इस प्रकार उक्त गिरदावरियों की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार उक्त अवधि में अप्रार्थी द्वारा उक्त खसरे में किसी प्रकार की काश्त नहीं की गई है। उक्त तथ्यों से प्रार्थी के इस कथन को भी बल मिलता है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन के वक्त प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में भी काश्त नहीं की गई है एवं न ही अप्रार्थी का कब्जा एवं काश्त प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना प्रस्तुत करने तक रही है। वकील अप्रार्थीगण ने भी ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नही की है कि अप्रार्थी को भूमि आवंटन के वक्त अप्रार्थी द्वारा प्रथम वर्ष में उसके द्वारा आवंटित भूमि के 50 प्रतिशत भू भाग पर तथा द्वितीय वर्ष सम्पूर्ण आवंटित भूमि के भू भाग पर काश्त की गई हो।

प्रार्थी द्वारा 45–46 साल बाद पेश यह आवेदन पत्र मयाद बाहर है, मयाद बाहर होने का कोई कारण नहीं है और देरी माफ करने का कोई आवेदन पत्र भी नहीं है तथा कानूनी रूप से 45–46 साल बाद खातेदारी अधिकारों को निरस्त कर उतरदाता को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है, को लेकर वकील अप्रार्थीगण का कथन है। उक्त संबंध में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 में ऐसा आवेदन पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित की हुई नहीं है। इसके अलावा हस्तगत प्रकरण में भूमि आवंटन के वर्ष एवं उसके पश्चात के लादूराम व उसके कायममुमान अप्रार्थीगण का कब्जा व काश्त होने के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम रियांबड़ी की प्रस्तुत जमाबन्दी खतौनी संख्या नई 784 पुरानी 579 संवत् 2070 से 2073 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1307 दिनांक 5.10.16 के द्वारा लादूराम पि0 हणुतराम कौम रेगर (फौत) 1.29 है0 गैर खातेदार के स्थान पर रामपाल पि0 लादूराम, बिरजी पुत्री लादूराम कौम रेगर 1.29 है0 गैर खातेदार दर्ज किया गया है, इससे स्पष्ट है कि लादूराम के फौत होने पर उसके पुत्र रामपाल व पुत्री बिरजी रकबा 1.29 भूमि के खातेदार नहीं होकर गैर खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन केवल मियाद के बिन्दु पर निरस्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

लादूराम के फौत होने पर कब्जा की जॉच कर लादूराम के स्थान पर फौतगी नामान्तरकरण संख्या 1307 दिनांक 05.10.2016 को अप्रार्थी रामपाल के नाम स्वीकृत किया गया है, को लेकर वकील अप्राथी का कथन है। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि फौतगी का नामान्तरकरण किसी खातेदार की मृत्यू हो जाने पर उसके वारिसान की जॉच की जाकर तदनुसार नामान्तकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही की जाती है, फौतगी के नामान्तरकरण में भूमि पर कब्जा देखने का प्रश्न निहित नहीं होता है। जहां तक वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में जो प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है, उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में हूबहू वस्पा नहीं होते है।

उपर्युक्त विश्लेषणात्मक विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी लादूराम को ग्राम रियांबड़ी के खसरा नम्बर 1353मीन 8बीघा प्रश्नगत भूमि का आवंटन निरस्त किया जाता है। राजस्व रेकर्ड में पूर्ववत स्थिति बहाल की जावे। तहसीलदार रियांबड़ी को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर